न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/4432/2010/गंगानगर

1– अर्जुनसिंह पुत्र श्री करतारसिंह जाति कम्बोज सिख, निवासी– 2ए ए, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

------ अपीलांट

बनाम

1– धीरासिंह पुत्र श्री मालसिंह जाति राजपूत, निवासी– 2 ए ए, तहसील अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़।
3– सरपंच ग्राम पंचायत 61 जी.बी. तहसील अनूपगढ़।

-------- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री अजयपाल ढिढ़ारिया, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय **दिनांक :– 08.08.2024**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225, सपठित धारा 221 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 11/2010 में पारित निर्णय दिनांक 16–07–2010 बउनवानी अर्जुनसिंह बनाम धीरासिंह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। दौरानेवाद प्रतिवादी सं0 3 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 पेश कर वादी का वाद चलने योग्य नहीं है उसे खारिज करने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र जवाब पेश किये बगैर ही बहस करनी चाही जिस पर वकुलाए फरीकेन की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 07–04–2010 से प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 16–07–2010 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 07–04–2010 निरस्त कर प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया। इसी निर्णय दिनांक 16–07–2010 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर उनका हमेशा से ही आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। रेस्पो0 प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा काश्त रहा है और ना ही उनका उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना देना है। मिला भगती कर गलत व अवैध कार्यवाही के जरिये उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर से जबरन नया रास्ता निकालने की साजिश रची जा रही है तथा वादी अपीलांट का वादपत्र काबिल डिक्री योग्य है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि वादी अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल मात्र धारा 188 वादी अपीलांट

अपने खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर हमेशा से ही आज दिनांक तक निरन्तर काबिज काश्त शान्तिपूर्ण चला आ रहा है तथा यदि प्रतिवादी रेस्पो0 द्वारा उसकी पीठ पीछे उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर रास्ते संबंधि कोई आदेश मिला भगती कर प्राप्त कर लिए हो, तो वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की रोशनी में स्वतः ही अवैध व निष्प्रभावी साबित हो जायेगी। किन्तु अदालत मातहत को रास्ते के संबंध में इस प्रकार की कोई फाईन्डिग देने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत द्वारा आउब्ट ऑफ प्लीडिंग जाकर रिमाण्ड आदेश में गलत फाईन्डिग दी गई है जबकि अदालत मातहत के समक्ष वादी अपीलांट की इस प्रकार की ना तो कोई प्लीडिंग थी और ना ही इस प्रकार की उसकी कोई बहस थी। अदालत मातहत को वादी अपीलांट की अपील को स्वीकर कर रिमाण्ड करने का तो अधिकार है, किन्तु इसके बाद रिमाण्ड के रास्ते के संबंध में शक्तियों को न्यून करने के रूप में नहीं लेने का क्षेत्राधिकार नहीं है। रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की कोई फाईन्डिग देने का राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत के समक्ष विवाद केवल वादपत्र के बिन्दू तक ही या, जो कि केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का है। इसलिए उक्त बिन्दू से बाहर जाकर किसी प्रकार की कोई फाईन्डिग देने का अदालत मातहत को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जानबूझकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर क्षेत्राधिकार का भारी दुरूपयोग कर गलत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर फैसला अदालत मातहत इस फाईन्डिग की हद तक कि रास्ते के संदर्भ में सक्षम अधिकारी की विधि अनुसार विचार कर प्रकरण निस्तारित करने की शक्तियों को न्यून करने के रूप में नहीं लिया जा सकेगा को निरस्त जाने तथा शेष अदालत मातहत के निर्णय को यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने आक्षेपित आदेश से प्रकरण को विद्वान परीक्षण न्यायालय को विधिक रूप

से प्रतिप्रेषित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 07–04–2010 में अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 3 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

8– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–07–2010 में अंकित किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 07–04–2010 निरस्त कर प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ को प्रतिप्रेषित किया गया है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान अपीलांट/वादी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था, वाद में अपीलांट ने पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं चाही थी और न ही पंयाचत के हितों के विपरीत कोई आदेश चाहा था, अपितु आराजी भूमि के सन्दर्भ में निषेधाज्ञा चाही थी। ऐसी स्थिति में वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र पर निरस्त करना उचित नहीं था। प्रकरण में अधिक से अधिक प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विधि और तथ्य के मिश्रित बिन्दु के रूप में देखा जाकर अन्य तनकीयात के साथ इस संबंध में भी तनकी बनाई जाकर उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य सबूत लेकर वादपत्र को निस्तारित करना चाहिए था, जो नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधि और तथ्य की भूल की है जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष को पलटने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है।

जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को अपने निर्णय में यह फाईन्डिग कि ‘‘इस निर्णय का आशय रास्ते के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी को विधि अनुसार विचार कर प्रकरण निस्तारित करने की शक्तियों को न्यून करने के रूप

में नहीं लिया जा सकेगा'' देने का अधिकार नहीं था, के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 07–04–2010 में उल्लेख किया है कि ''पत्रावली में संलग्न फर्द मौका पटवारी हल्का के अनुसार पहले से स्वीकृत रास्ता पर वादी व उसके पड़ौसी काश्तकारों के द्वारा अवैध अधिक्रमण कर रखा है। निशानदेही दिये जाने के बाद वादी स्वीकृतशुदा रास्ता में अवैध रूप से अतिक्रमण बनाये रखने के लिए यह वादपत्र पेश किया जाना पाया जाता है।'' इसी आधार पर विद्वान उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया है।

10– अतः विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रथम अपीलीय न्यायालय की उक्त टिप्पणी त्रुटिपूर्ण नहीं है। अतः उक्त टिप्पणी में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

11– इस प्रकार समस्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–07–2010 पारित करने में किसी प्रकार की विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। इसलिए अपील अपीलार्थी सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12– फलतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

13– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य